

## प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण

यह एडिटरियल 22/07/2021 को 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Why the Supreme Court order on registration of migrant workers is welcome" लेख पर आधारित है। इसमें प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण हेतु सर्वोच्च न्यायालय के हालिया नरिणय के संबंध में चर्चा की गई है।

प्रवासन पर नवीनतम उपलब्ध सरकारी आँकड़ों (वर्ष 2011 की [जनगणना](#)) के अनुसार, भारत में वर्ष 2011 में 45.6 करोड़ (जनसंख्या का 38%) प्रवासी थे, जबकि 2001 में इनकी संख्या 31.5 करोड़ (जनसंख्या का 31%) रही थी।

प्रवासी श्रमिक [कोविड-19](#) महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं क्योंकि राज्यवाहीनता की उनकी स्थिति के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सके। इस प्रकार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (लगभग 93%, नमिनसतरीय रोजगार में संलग्न अधिकांश प्रवासी श्रमिकों सहित) को वर्तमान में कार्यान्वयित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकने में सक्षम बनाने की आवश्यकता है।

प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और कठिनाइयों पर [सर्वोच्च न्यायालय का हाल का नरिणय](#) इतिहास में एक क्रांतिकारी नरिणय के रूप में दर्ज किया जाएगा जसिने कोविड-19 महामारी के समय मानवीय पीड़ा को कम करने का प्रयास किया है।

इस नरिणय में अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों के महत्वपूर्ण योगदान को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है, भले ही वे प्रायः अस्थायी रोजगार में संलग्न होते हैं। हालाँकि इस नरिणय के सुचारू कार्यान्वयन की अपनी चुनौतियाँ भी हैं।

## सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का महत्त्व

- **स्वघोषणा स्वीकार करने का नरिदेश:** प्रचलित अभ्यास से वरिष्ठ लेते हुए नरिणय में कहा गया है कि कल्याणकारी कार्यक्रमों तक श्रमिकों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये संबंधित प्राधिकार आईडी कार्ड पर जोर नहीं देंगे और श्रमिकों की "स्वघोषणा" को स्वीकार करेंगे (ज्जात हो कि ऐसा ही प्रावधान [सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008](#) में मौजूद था)।
  - एक ऐसे देश में जहाँ दस्तावेज़ नरिधारित करते हैं कि कनि लोगों की राज्य के संसाधनों तक पहुँच होगी और कसि नागरिकता दी जाएगी, कसि नहीं—वहाँ दस्तावेज़ की आवश्यकता को समाप्त किये जाने का नरिणय बेहद क्रांतिकारी है।
- **कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच को सार्वभौमिक बनाने का नरिदेश:** सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय में यह भी कहा गया है कि दस्तावेज़ीकरण की कमी को राज्य द्वारा अपने उत्तरदायित्वों से बचने के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, वशिषकर एक ऐसे समय जब देश महामारी का सामना कर रहा है।
  - यद्यपि दीर्घकालिक लक्ष्य यह है कि सभि प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया जाए ताकि कल्याणकारी योजनाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित हो।
- **यह समाजवादी एजेंडे में विश्वास को प्रेरित करता है:** [सर्वोच्च न्यायालय](#) का नरिणय एक ऐसे समय भारत के मूल समाजवादी एजेंडे में विश्वास को प्रेरित करता है जब नव-उदारवादी नीतियों ने समाज के सबसे कमजोर लोगों की गरमा और अधिकारों की रक्षा हेतु किये गए उपायों को चुनौती दी है तथा औद्योगिक क्षेत्र लागत में कटौती करने और प्रतस्पर्द्धी बने रहने के लिये श्रम मानकों के मामले में श्रमनाक "**race to the bottom**" के दृष्टिकोण पर अमल कर रहे हैं।
- यह नरिणय एक स्वागत योग्य संकेत है कि देश का उच्चतम न्यायालय समाज के सबसे कमजोर वर्गों की दशा-दशा पर नज़र बनाए हुए है।

## प्रवासियों की समस्याएँ

- **श्रमिकों के पंजीकरण में देरी:** श्रम और रोजगार मंत्रालय के [राष्ट्रीय डेटाबेस](#) पर श्रमिकों को पंजीकृत करने में देरी उनकी पहुँच को अवरुद्ध करने वाली प्रमुख बाधा है।
- **श्रम विभाग में व्याप्त बाधाएँ:** श्रम विभाग में पंजीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं पर दशा-नरिदेशों की कमी और हार्ड कॉपी में प्रस्तुत डेटा को पोर्टल पर अपलोड करने में देरी (क्योंकि इसे कसि अन्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अद्यतन नहीं किया जा सकता) सहित कई बाधाएँ मौजूद हैं।
- **प्रशासनिक समस्याएँ:** प्रवासियों को पंजीकरण में डिजिटल नरिक्षरता, भ्रष्टाचार, नौकरशाही अक्षमता और विभिन्न दस्तावेज़ों की आवश्यकता (तब भी जबकि आधार कार्ड ही पर्याप्त होता) जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

- **अतसिंवेदनशील समूहों का बह्रिवेशन:** समाज में व्याप्त भेदभाव के कारण मुस्लिम तथा दलित जातियों जैसे अतसिंवेदनशील समूहों के बह्रिवेशन की स्थिति और भी बदतर है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नरिदेश ने शर्म भरती और रोजगार के उन उलझे हुए प्रतरूपों को चुनौती दी है जो वर्तमान नव-उदारवादी संदर्भ में जड़ें जमा चुके हैं।

## आगे की राह

- **पंजीकरण प्रक्रिया को तेज़ करना:** पंजीकरण के बनिा वर्तमान में कार्यान्वति कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच सुनिश्चति नहीं की जा सकती। इसलिये सभी प्रवासी शर्मिकों के पंजीकरण हेतु इस प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाना चाहिये।
- **मौजूदा कानूनों का प्रवर्तन:** सभी शर्मिकों को शर्म एवं प्रवासी शर्मिकों की सुरक्षा हेतु वर्तमान में प्रवर्तति तीन कानूनों—[अंतरराज्यीय प्रवासी शर्मिक अधिनियम, 1979](#); [भवन एवं अन्य नरिमाण शर्मिक अधिनियम, 1996](#); और असंगठित शर्मिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008—के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिये।
- **ONORC योजना का शीघ्रतशीघ्र आरंभ:**
  - उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वतिरण मंत्रालय को [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम](#) के अंतर्गत 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) योजना के तहत प्रवासी शर्मिकों के बीच वतिरण के लिये राज्यों को अतरिकित खाद्यान्न आवंटति करना चाहिये।
  - इस प्रणाली के आरंभ के लिये लाभार्थियों के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड और राशन की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ePoS) होना आवश्यक है।
- **शर्म वभागों में सुधार की आवश्यकता:** सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेशों की पूरति के लिये शर्म वभागों के पास कर्मियों और आवश्यक क्षमता का गंभीर अभाव है जिसि दूर करने की आवश्यकता है।
  - वभागों में संगठनात्मक प्रविरतन लाने के लिये आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये।

## नषिकर्ष

देश के समग्र विकास के लिये सामाजिक सुरक्षा उपायों के दायरे में सभी असंगठित शर्मिकों को शामिल किया जाना आवश्यक है।

इस प्रकार, प्रवासी शर्मिकों के पंजीकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का हाल का आदेश समाज के सबसे कमज़ोर लोगों के अधिकारों के पक्ष में खड़ा है और अर्थव्यवस्था में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान को चहिनति करता है।

**अभ्यास प्रश्न:** यद्यपि प्रवासी शर्मिक प्रायः अस्थायी रोजगार में संलग्न होते हैं लेकिन, अर्थव्यवस्था उनका योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस कथन के आलोक में प्रवासी शर्मिकों के पंजीकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया नरिणय की चर्चा कीजिये।